

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी

राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Email - rmsa.janjgir@gmail.com



RMSA Phone :-07817-222004

—:: स्पेशल एजुकेटर हेतु विज्ञापन ::—

पत्र क्रमांक / 108 / समा.शि. / 2022-23

जांजगीर दिनांक 22/07/2022

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/1087/SS /24/14/सेकेण्डरी/2021-22 रायपुर दिनांक 04.07.2022 के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, तदनुक्रम में जिला जांजगीर-चांपा के प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 01 स्पेशल एजुकेटर को रखे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक 07-08-2022 सायं 05:00 तक ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जाएंगे अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

—:: विज्ञापित पदों का विवरण ::—

स. क्र.	पद का नाम	पद संख्या								योग	निश्चित मानदेय
		अना		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	स्पेशल एजुकेटर	3	1	1	0	1	0	2	1	9	20000

1) शैक्षणिक अर्हताएं :-

- स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।

2) नियम एवं शर्तें :-

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

- जिले द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रु. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवे त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3) चयन प्रक्रिया :-

- स्नातकोत्तर एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा के भारांश के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार अंतिम चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जावेगी -

क्र	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) का अंक भार	व्यवसायिक योग्यता		कुल अंक भार
		बी.एड. (विशेष शिक्षा) होने के स्थिति में	बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा होने की स्थिति में	
1	60%	40% बी.एड. (विशेष शिक्षा) का	40% (2 साल के डिप्लोमा का)	100%

- स्वीकृत पदों के विरुद्ध जातिवार/वर्गवार अधिकतम 03 गुना तक, अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जाँच/सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।
- अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में

किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा।

- पदस्थापना हेतु कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा एवं पदस्थापना हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4) ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

- ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का Gmail आई.डी. (जैसे-xyz@gmail.com) होना अनिवार्य है। Gmail आई.डी. नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी google में जाकर Gmail आई.डी. बना लें।
- अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिये लैपटॉप/डेस्कटॉप में google chrome का उपयोग करें।
- ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें।
- ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in> पर जावें।
- अभ्यर्थी वेबसाइट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भर सकते हैं।
- चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना जिला जांजगीर-चांपा के वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in> पर अद्यतन की जावेगी अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पश्चात् नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 109 / समा.शि. / 2022-23

जांजगीर दिनांक 22/07/2022

प्रतिलिपि,

1. प्रबंध संचालक राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार विज्ञापन को प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित न्यूनतम 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. जन संपर्क अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जांजगीर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल <https://janjgir-champa.gov.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)